

हुक्मनामा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0

प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 54/2022

दिनांक : 2/05/2022

श्रीमति संतोष बाई पत्नि विजय सिंह जी जाति मीणा आयु वयस्क तह0 निम्बाहेडा जिला
चित्तौडगढ राज0।प्रार्थीया

//बनाम//

1. रामा पिता सुखलाल जी जाति भील आयु 35 साल निवासी नरसिंहगढ तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. भेरूलाल पिता उंकार जी जाति मीणा आयु 30 साल निवासी नरसिंहगढ तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. शम्भुलाल पिता उंकारलाल जी जाति मीणा आयु 35 साल तह0 निम्बाहेडा जिला
चित्तौडगढ राज0।विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट


प्रेषिती :-

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके
मौजा ग्राम सगवाडिया प0ह0 बाडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाडी तह0 निम्बाहेडा
जिला चित्तौडगढ राज0 की खाता संख्या नया 35 जिसके आ0 न0 425 रकबा 1.
2600 हैक्टेयर लगानी 31.50 रूपये स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की।
साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर
विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप
पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुंच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी
किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फीस पत्थरगढी रूपया 1,620/-
/- प्रार्थीया से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में
दिनांक 3/5-22 को पेश करे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 2/05/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर
न्यायालय से जारी किया गया।




उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
निम्बाहेडा (राज.)